Tele: 2301 0938 FAX: 23016900

REGISTERED

Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Production Directorate General of Aeronautical Quality Assurance 'H' Block, New Delhi - 110011

25 Jul 2017

No.4741/RR/SCD Special Grade/DGAQA/Adm-II

O/o ADG, (South Zone), Bengaluru
O/o ADG (N&CZ), Lucknow
O/o ADG, Koraput
O/o ADG, Nasik
ADG, SSQAG, Hyderabad
Principal Director (MSQAA), Hyderabad
CO, AQAW(Armt), Khamaria

PUBLICATION OF AMENDMENT OF RRS IN RESPECT OF STAFF CAR DRIVER (SPECIAL GRADE) S.R.O 51 DATED 20 JUN 2017

Amendment in Recruitment Rules for the posts of Staff Car Driver (Special Grade) have been published in "The Gazette of India" dated Jun 25 - 01 Jul 2017. A copy of the same is forwarded herewith for your information and necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

(Rajeev Kumar Saxena) Asstt Director (Adm-II)

for DGAQA

Copy to:-

Encl: As above

Internal:-

MoD/D(HAL),

Adm-I

Adm-III

AT Sec- for uploading on DGAQA's website.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 25—जुलाई 1, 2017, शनिवार/आषाढ 4—आषाढ 10, 1939 No. 21] NEW DELHI, JUNE 25—JULY 1, 2017, SATURDAY/ ASADHA 4—ASADHA 10, 1939

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

का.नि.आ. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 के नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों पर जहां ये शब्द आते हैं "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।
 - (क) स्तंभ (4) में,
 - (i) शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा;
 - (ii) प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400 112400 रुपए" प्रविष्टियां रखी जाएंगी:

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 और का.नि.आ.34, तारीख 10 जून, 2016 द्वारा जारी शुद्धिपत्र, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2016, में,–
 - 1. नियम 2 में, शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान", दोनों स्थानों पर आते हैं, शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखे जाएंगे।
 - 2. अनुसूची में,-
 - (क) स्तम्भ(4) में,
 - (i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

- (ii) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात:-
 - "वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6";
- (ख) स्तम्भ (11) में,-
 - (i) प्रविष्टि के स्थान पर (वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.) निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात: —

"वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में, ऐसा स्टाफ कार चालक जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।"

(ii) टिप्पण 2 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 4741/आर.आर./एस.सी.डी.विशेष श्रेणी/वै.गु.आ.मिन/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या का.नि.आ.6, तारीख 29 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात का.नि.आ.34 तारीख 10 जून, 2016 में संशोधन किए गए।

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 20th June, 2017

- S.R.O. 51.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016 and corrigendum issued vide S.R.O. 34, dated 10 Jun 2016, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver(Special Grade) Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016,-
 - (1) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" occurring at both the places, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (2) in the Schedule,-
 - (a) in column (4),
 - (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely "Level in the pay matrix";
 - (ii) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:"Level 6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix";
 - (b) in column (11),
 - (i) for the entry (Pay Band-1, Grade pay Rs 2800/- in the pay scale Rs. 5200-20200) the following entry shall be substituted, namely:-

"Staff Car Driver Grade-I in Level 5 in the Pay Matrix with three years of regular service in the grade."

(ii) "Note 2" and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No.4741/RR/SCD Special Grade/DGAQA/Adm-II/D(HAL)] INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, *vide* notification number S.R.O. 6 dated 29 January, 2016 and subsequently amended vide S.R.O. 34 dated 10 June, 2016.

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

का.नि.आ. 52. —राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर विशेष श्रेणी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से